कार्यालय नगर पालिका परिषद पिहानी-हरदोई

Website- pihaninpp.co.in
Email-conpppihanihr-up@nic.in
nagarpalikapihani@gmail.com
CUG-8189078277

अंतिम प्रकाशन सूचना

पत्रांक :-1172/न0पा0परि0पिहानी/अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नियमावली संशो0 2025/2024-2025 दिनांक -18/2/25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, इस कार्यालय के पत्रांकः-1076/न0पा0परि0 पिहानी/अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नियमावली संशो0 2025/2024-2025 दिनांक 24.01.2025 के अंतर्गत अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नियमावली 2025 संशोधन जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर 15 कार्य दिवसों में सार्वजनिक आपत्तियां मांगी गयी थीं। जो कि नियत समयावधि में कोई भी आपत्ति पालिका में प्राप्त नही हुयी है, अस्तु प्रकाशित संशोधन को यथावत निम्नवत स्वीकार किया जाता है।

अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नियमावली संशोधन 2025

प्रस्तर कमांक	अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नियमावली 2003 में निर्धारित व्यवस्था।	पालिका बोर्ड बैठक दि0 13.01.2025 में स्वीकृत संशोधित व्यवस्था।
(1)	नगर पालिका परिषद पिहानी जिला हरदोई की सीमा के अन्दर यदि कोई व्यक्ति अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण/विकय/दान/ भारतीय स्टांप एक्ट के अंतर्गत करायेगा, उन सभी व्यक्तियों पर यह नियमावली प्रभावित होगी।	नगर पालिका परिषद पिहानी जिला हरदोई की सीमा के अन्दर यदि कोई व्यक्ति अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण/विकय/दान/ भारतीय स्टांप एक्ट के अंतर्गत करायेगा व विलेख नामान्तरण हेतु पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, उन सभी व्यक्तियों पर यह नियमावली प्रभावी होगी।
(2)	इस कर के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों से जिनका वर्णन प्रस्तर (1) में दिया गया है। सभी हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति के मूल्य या मालियत जो अधिक हो, पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत स्टांप शुल्क के रूप में देय होगा।	इस कर के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों से जिनका वर्णन प्रस्तर (1) में दिया गया है। सभी हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति के मूल्य या मालियत जो अधिक हो, पर नामान्तरण शुल्क के रूप में निम्न प्रकार देय होगा। अ-दस लाख रू0 मूल्य तक की सम्पत्ति-01 प्रतिशत। ब-दस लाख रू0 मूल्य से अधिक की सम्पत्ति-02 प्रतिशत।
(3)	यह शुल्क किसी सम्पत्ति के विकय, हिब्बे, तबादलानामा, दान के अवसर पर जो स्टांप डयूटी अथवा सम्पत्ति का मूल्य, जो भी अधिक हो पर देय होगा।	यह शुल्क किसी सम्पत्ति के विकय, हिब्बे, तबादलानामा, दान के अवसर पर जो स्टांप डयूटी अथवा सम्पत्ति का मूल्य, जो भी अधिक हो पर देय होगा।
(4)	नगर पालिका परिषद पिहानी की सीमा में अचल सम्पत्ति का कोई हस्तान्तरण तब तक वैध नही माना जायेगा जब तक उक्त 2 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि जो इस नगर पालिका द्वारा लगायी गयी है, अदा नही की जाती है।	नगर पालिका परिषद पिहानी की सीमा में अचल सम्पत्ति का कोई हस्तान्तरण तब तक वैध नही माना जायेगा जब तक उक्त नामान्तरण शुल्क धनराशि जो इस नगर पालिका द्वारा लगायी गयी है, संबंधित द्वारा पालिका में अदा नही की जाती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, पिहानी
हरदोई।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, पिहानी
हरदोई।

प्रतिलिपिः- संख्या व दिनांक उपरोक्त।

1. विज्ञापन संपादक अमर उजाला, दैनिक जागरण .... को इस आशय से कि, उपरोक्त सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में न्यूनतम शासकीय दरों पर अति सूक्ष्म रूप में कराते हुये बाद प्रकाशन बिल व प्रकाशन की 03 प्रतियां कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. पालिका वेबसाइट/सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करने हेतु।
3. कार्यालय सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
4. पत्रावली हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, पिहानी
हरदोई।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, पिहानी
हरदोई।